

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के समक्ष चुनौतियों का एक अध्ययन

प्रीति,शोधार्थी, लोकप्रशासन विभाग,
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

सारांश

बालिका किसी देश के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में प्रमुख भूमिका निभाती है। हमारा संविधान लड़कियों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता को बहुत महत्व देता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ एक सरकारी सामाजिक योजना है, जिसे भारतीय समाज में बालिकाओं के खिलाफ लैंगिक असंतुलन और भेदभाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में किया गया था। यह शोध-पत्र इस बात की जाँच करता है कि विभिन्न सार्थक तरीकों से सभी को जानकारी प्रदान करके लड़कियों की शिक्षा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। प्रस्तुत शोध-पत्र में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। जिसके 7 खण्डों में इस योजना के अंतर्गत बेटियों की स्थिति का अवलोकन किया गया है। यह शोध-पत्र इस बात की जाँच करता है कि विभिन्न सार्थक तरीकों से सभी को जानकारी प्रदान करके लड़कियों की शिक्षा को कैसे बढ़ाया जा सकता है।

मुख्य शब्द : बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बालिका, समस्याओं, चुनौतियों, संवैधानिक और कानूनी

भूमिका

महिलाएं किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। महिला प्रगति के अभाव में समाज की प्रगति असंभव है। नारियों का सम्मान एवं उनके हितों की रक्षा करना भारतीय समाज की प्राचीन संस्कृति रही है। “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः” और “माँ के पैरों तले जन्नत है” जैसी सूक्तियों के द्वारा उन्हें महिमामंडित किया जाता है। यहाँ की बेटियाँ खेलों में काम करने से लेकर अंतरिक्ष यात्रा का मुकाम तय कर चुकी हैं। राजनीतिक शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी धाक जमाने के साथ ही विश्व सुंदरी का ताज भी पहन चुकी हैं। देश की रक्षा से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था हो या फिर राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों से लेकर ओलम्पिक तक में भारत के लिए सोना, चांदी और कांसे के

तमगे बटोर कर लाती हैं। बावजूद इसके आधी आबादी मानी जाने वाली शक्ति स्वरूपा नारी प्रतिदिन मानवीय क्रूरता, अत्याचार, सामूहिक बलात्कार और शोषण का शिकार हो रही है। उनके मजबूत इरादों, हौसलों और सपनों को बल प्रदान करने की अपेक्षा कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। नित प्रतिदिन अखबारों और टीवी चैनल्स पर सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़ की घटनाओं की खबर देखकर ग्लानि होती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और सत्तारूढ़ सरकार अपने दायित्वों से मुख मोड़ ले तो फिर सुरक्षा की क्या गारंटी ? समाज में चारों ओर बेटियों की असुरक्षा की ब्यार चल पड़ी है, ऐसे में जहाँ “बेटी पढ़ाओ” एक चुनौती तो बेटी बचाओ एक चेतावनी सा प्रतीत होता है।¹² नारी सुरक्षा के लोक लुभावन नारे के सहारे सत्ता के शीर्ष तक पहुँचने वाली सरकारें अपने दावों और वादों में पूर्णतः विफल रही हैं। न केवल हरियाणा, बिहार, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश की माँ पूछ रही हैं कि आखिरकार वह कब तक सामंती सोच वाले घुंघट से बाहर निकलने का खामियाजा भुगतती रहेंगी ? महिलाओं को देश की मुख्यधारा से जोड़े बिना देश व समाज का विकास संभव नहीं है। इसलिए समाज के विकास के लिए सबसे पहले महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना होगा। आज महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। पर पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री/महिला आज भी द्वितीयक नागरिक के रूप में मानी जाती है, जिसे पुरुषों के समान महत्त्व व नाम नहीं दिया जाता है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

लैंगिक विभेद की अवधारणा पूरे भारतवर्ष में एक समस्या के तौर पर रही हैं। लैंगिक असमानता के कारण सामाजिक संरचना के संतुलन में विकट समस्या उत्पन्न होती है। जिस समाज में लैंगिक असमानता जितनी अधिक होती है, उस समाज का विकास उतना ही पीछे की ओर जाता है। अतः महिलाओं की समाज में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व लैंगिक विभेद को समाप्त करने के लिए ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय की संयुक्त पहल से देशभर में व्यापक स्तर पर लागू की गई।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य

- लिंग भेद से पूर्वग्रस्त मनोवृत्ति को समाप्त करना।
- बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की पोषण स्थिति में सुधार करना।
- बालिका के लिए सुरक्षित माहौल को प्रोत्साहित करना।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समीति ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पर अखिल भारतीय स्तर पर देश के सभी 640 जिलों (2011 की जनसंख्या के अनुसार) में करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसका उद्देश्य बच्चों के लिंग अनुपात पर गहन सकारात्मक प्रभाव डालना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कार्यक्रम के विस्तार का अनुमोदन 161 जिलों में इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के आधार पर किया गया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य बच्चों के लिंगानुपात में चिंताजनक गिरावट का जीवन चक्र निरंतरता के साथ महिला सशक्तिकरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना है।

साहित्य समीक्षा

उमेश चन्द्र अग्रवाल (2018) "कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम" लेख में लेखक ने बताया है कि कन्या भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ-साथ लिंगानुपात में लगातार गिरावट आ रही है। इस तथ्य से हम सब परिचित हैं कि एक तरफ हमारे देश में महिलाओं के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं एवं अरबों-खरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पहले से भी अधिक बर्बरतापूर्वक तरीके से कन्याओं की हत्या हो रही है। वैज्ञानिक प्रगति निश्चित रूप से नारी जाति के लिए एक अभिशाप बनती जा रही है।

कुसुम त्रिपाठी (2018) "महिलाएं दशा और दिशा" पुस्तक में यह लेख पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में 8 ब्लॉकों के अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। इसमें 0 से 6 साल के बच्चों व महिलाओं के विकास हेतु सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों

विशेषतया शिशु मृत्यु दर को कम करने, लिंगानुपात को कम करने तथा महिला सशक्तिकरण में आई.सी.डी.एस. की भूमिका का वर्णन किया गया है। आंगनवाड़ी केन्द्र इसे पूरा करने में कहाँ तक सफल रहे इसका मूल्यांकन भी इस लेख में किया गया है।

पंकज कौशिक (2016) "ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक आहार" पंकज कौशिक ने अपने इस लेख में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं, बच्चों व शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी है। उसके अनुसार ग्रामीण महिलाओं में निरक्षरता, अज्ञानता, बढ़ती जनसंख्या व लिंग अनुपात के कारण महिलाओं व बालिकाओं का पोषण स्तर गिर गया है।

लता टंडन स्नेह एवं रेनू शर्मा (2016) "फीमेल फीटिसाइड इन इंडिया : एन एनालिसिस ऑफ क्राइम्स" प्रस्तुत लेख कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या से संबंधित सभी धारणाओं जैसे लिंग आधारित गर्भपात कानूनी पहलू, नीतिगत ढांचा आदि को समाहित करने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य के कन्या शिशु अपराध का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजन के लागू होने के पश्चात् लोगों में आने वाले व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन करना।
- बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना के समक्ष चुनौतियों को जानना।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध में हरियाणा राज्य के 22 जिलों में से 3 जिले सिरसा, रोहतक व महेंद्रगढ़ लिए गए हैं। इन तीनों जिलों के 17 खंडों में से केवल 7 खंडों का चयन दैव निदर्शन त्दकवउ "उचसपदह के द्वारा किया गया है तथा 7 खंडों में से 5-5 गांव अर्थात् कुल 35 गांव का चयन सुविधा अनुसार शोध के लिए किया गया है, प्रत्येक गांव में से उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा 17-17 उत्तरदाताओं का चयन करते हुए कुल 595 उत्तरदाता शोध में शामिल किए गए हैं।

आंकड़ों का संकलन तथा एकत्रीकरण

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी द्वारा प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का संकलन किया गया है।

प्राथमिक आंकड़े : प्राथमिक आंकड़ों का संकलन अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आंगनवाड़ी वर्कर, ए०एन०एम० व ग्रामीण उत्तरदाता द्वारा किया गया है।

द्वितीयक आंकड़े : द्वितीयक आंकड़ों का संकलन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, का वार्षिक रिपोर्ट, सांख्यिकी मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, समाचार पत्र, पत्रिका, प्रकाशित व अप्रकाशित शोध ग्रंथ, मीडिया व इंटरनेट के माध्यम से किया गया है।

निष्कर्ष व परिणाम

सारणी-1

क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से समाज में फैली बुराईयों जैसे भ्रूण हत्या, बाल-विवाह आदि में कमी आई।

क्र० सं०	जिला	हाँ	नहीं	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1.	सिरसा	75 (100.)	0	75 (100.)
2.	महेन्द्रगढ़	50 (100.)	0	50 (100.)
3.	रोहतक	47 (94.)	3 (6.)	50 (100.)
4.	कुल	172 (98.3.)	3 (1.7.)	175 (100.)

स्रोत: प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित।

उपरोक्त सारणी से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जिला सिरसा, व महेन्द्रगढ़ के 100 प्रतिशत व जिला रोहतक 94 प्रतिशत सरपंचों, पंचों, ए०एन०एम०, आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जब से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की है उसके बाद समाज में फैली भ्रूण हत्या व बाल-विवाह इत्यादि बुराईयों में कमी आई है तथा अब ऐसा नहीं है कि पहले की तरह पेट में ही बच्चों को मरवा दिया जाए बल्कि इस योजना के आरम्भ होने के पश्चात् इस तरह से बुराईयों में कमी आई है अब कानून बहुत सख्त बना दिए हैं तथा लड़कियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की गई हैं जिससे बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली है। तथा जिला रोहतक के ही 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं का ये मानना है कि समाज में अब भी भ्रूण हत्या व बाल विवाह किए जाते हैं उन्होंने इस बात को मना

किया है और कहते हैं कि समाज में इस तरह की बुराईयों को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है बल्कि उनमें थोड़ा परिवर्तन अवश्य लाया जा सकता है। इसी सन्दर्भ में यदि तीनों जिलों की स्थिति का अध्ययन करें तो 98.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ये माना है कि जब से बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना आरंभ हुई है तब से ही बेटियों की भ्रूण हत्या व बाल विवाह में कमी आई है अब पहले की तरह नहीं होता कि बच्चियों के बाल विवाह हो पाएं उसके लिए भी कानून है यदि कोई भी माता-पिता ऐसा करते हुए पाया जाता है, उस पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाती है। जबकि 1.7 प्रतिशत उत्तरदाता जिन्होंने नहीं उत्तर दिया है उनका ये कहना है कि समाज में अनपढ़ता, गरीबी, पितृसत्तात्मक सोच की वजह व सामाजिक दृष्टिकोण के कारण आज भी लोग भ्रूण हत्या, बाल-विवाह करते हैं या फिर पैसे वाले व बेटे की चाह रखने वाले लोग उन घटनाओं को अंजाम देते हैं। समाज में पूरी तरह इस प्रकार की समस्या को खत्म नहीं किया जा सकता बल्कि लोग मौका पाते ही इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं आए दिन समाचार पत्रों में इस तरह की खबर आती रहती है।

सारणी-2

क्या बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना लागू होने से लड़कियों की शिक्षा में सुधार हुआ है

क्र० सं०	जिला	थोड़ा बहुत	बहुत ज्यादा	बिल्कुल नहीं	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1.	सिरसा	26 (14.4)	154 (85.6)	0	180 (100)
2.	महेन्द्रगढ़	24 (20.0)	96 (80.0)	0	120 (100)
3.	रोहतक	32 (26.7)	88 (73.3)	0	120 (100)
4.	कुल	82 (19.5)	338 (80.5)	0	420 (100)

स्त्रोत: प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित।

उपरोक्त सारणी व बार ग्राफ से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि जिला सिरसा के 85.6 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं का ये कहना है कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना लागू होने से लड़कियों की शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है जबकि 14.4 प्रतिशत उत्तरदाता ये कहते हैं कि बेटियों की शिक्षा में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। इसी प्रकार से जिला महेन्द्रगढ़ के 80.0 प्रतिशत उत्तरदाता ये मानते हैं कि जब से यह योजना शुरू हुई है तब

से ही बेटियों की शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है तथा 20.0 प्रतिशत उत्तरदाता ये कहते हैं कि बेटियों की शिक्षा में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। इसी तरह जिला रोहतक के 73.3 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाता ये कहते हैं कि इस योजना की शुरुआत से बेटियों की शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है जबकि 26.7 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत सुधार बेटियों की शिक्षा में आया है। इसी सन्दर्भ में यदि तीनों जिलों की स्थिति का अध्ययन करें तो 80.5 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाता ऐसे मिले हैं जिनका ये कहना है जब से बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ योजना की शुरुआत देश में की गई है तब से ही बेटियों की शिक्षा में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है क्योंकि अब सभी नागरिक अपनी बहन-बेटियों को स्कूल, कॉलेजों में पढ़ाई के लिए भेजने लगे हैं और बेटियाँ भी अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने लगी है जबकि 19.5 प्रतिशत उत्तरदाता ये कहते हैं कि बेटियों की शिक्षा में अभी थोड़ा बहुत ही सुधार हुआ है क्योंकि कुछ लोग हैं जो अब भी बेटियों को पढ़ाने लिखाने में हिचकिचाते हैं तथा थोड़े बहुत ऐसे लोग भी हैं जो गरीबी की वजह से दूर शहर में पढ़ाई के लिए नहीं भेज पाते हैं। इसलिए ये लोग ऐसा मानते हैं कि ये लोग अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं तथा कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि उनके गाँव में लड़कियों की उच्च शिक्षा हेतु उनके गाँव में स्कूल नहीं है। इसलिए गाँव की लड़कियाँ पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा पाती हैं।

सारणी-3

क्या बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् लड़कियों के अपराधों में कमी आई है

क्र० सं०	जिला	थोड़ी बहुत	बहुत ज्यादा	बिल्कुल नहीं	उत्तरदाताओं की कुल संख्या व प्रतिशत
1.	सिरसा	68 (37.8:)	112 (62.2:)	0	180 (100:)
2.	महेन्द्रगढ़	32 (26.7:)	88 (73.3:)	0	120 (100:)
3.	रोहतक	32 (26.7:)	88 (73.3:)	0	120 (100:)
4.	कुल	132 (31.4:)	288 (68.6:)	0	420 (100:)

स्त्रोत: प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित।

उपरोक्त सारणी व बार ग्राफ से प्राप्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जिला सिरसा के 62.2 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं का ये कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् लड़कियों के अपराधों में बहुत ज्यादा कमी आई है जबकि 37.8 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाता ये कहते हैं कि इस योजना के द्वारा भी लड़कियों के अपराधों में थोड़ी बहुत ही कमी आई है। इसी प्रकार से जिला महेन्द्रगढ़ के 73.3 प्रतिशत ये कहते हैं कि इस योजना की शुरुआत के बाद लड़कियों के खिलाफ बहुत ज्यादा कमी आई है तथा 26.7 प्रतिशत ये कहते हैं कि थोड़ी बहुत कमी अपराधों में आई है। इसी तरह जिला रोहतक के 73.3 प्रतिशत ने यह बताया है कि लड़कियों के अपराधों में कमी आई है व 26.7 ने थोड़ी बहुत कमी आई है। इसी सन्दर्भ में यदि तीनों जिलों की स्थिति का अध्ययन करें तो 68.6 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं का ये कहना है कि जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुई है तब से ही लड़कियों के अपराधों में बहुत ज्यादा कमी आई है क्योंकि पहले लड़कियों के साथ बहुत ही ज्यादा आपराधिक घटनाएं घटित होती थी जो इस कानून के द्वारा कुछ हद तक रोक लगी है तथा अब लड़कियों के साथ इतनी ज्यादा घटनाएं नहीं होती। जितनी पहले होती थी पहले की अपेक्षा में लड़कियों के साथ होने वाले अपराधों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है परन्तु 31.4 प्रतिशत उत्तरदाता ये कहते हैं कि इस योजना के बाद भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है बल्कि थोड़ी बहुत कमी जरूर आई है। अब भी कई जगह लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। जिनमें कई बार दोषी लोग पुलिस की नजर से बच जाते हैं और बेगुनाह लोग इसमें फंस जाते हैं तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हो जाने के बाद भी कई जगह ऐसी भयानक घटनाएं लड़कियों के साथ घटित हुई हैं, जिनके मामले कोर्ट के अन्दर अब भी विचाराधीन हैं।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के समक्ष चुनौतियाँ

- ✓ "बेटा वंश को चलाएगा" यह मानसिकता अब भी 85 प्रतिशत लोगों में विद्यमान है।
- ✓ सरकार द्वारा पीएनडीटी एक्ट का सख्ती से पालन करने के बावजूद भी 16 प्रतिशत लोगों का मानना है कि अब भी लिंग जांच हो रही है।

- ✓ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना लागू होने के पश्चात् भले ही बेटियों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं लेकिन 96 प्रतिशत लोगों का मानना है कि बलात्कार, घरेलू हिंसा, शोषण जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
- ✓ "लड़का, लड़की एक समान" यह नारा भले ही प्रचलित हुआ है लेकिन 91 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि अब भी माता-पिता बेटे को बेटी से ज्यादा मानते हैं।

निष्कर्ष वसुझाव

बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ योजना में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि बेटियों को आने वाले समय में कभी भी बोझ न समझा जाए। सुरक्षित तथा सकारात्मक माहौल बनाने की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए सरकार द्वारा देश के सभी जिलों में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की गंभीरता को समझते हुए इस योजना में अपना हर संभव योगदान देना चाहिए। निःसंदेह सभी के प्रयासों से मिलकर ही बेटियों को जन्म देने का अधिकार प्रदान किया जा सकता है।

- ❖ स्थानीय स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं को चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के हर एक पहलू के विषय में ग्रामीणों को विस्तारपूर्वक बताया व समझाया जाए ताकि भ्रूण हत्या व बाल-विवाह को जड़मूल से खत्म किया जा सके।
- ❖ सरकार द्वारा बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए साथ ही ग्रामीण स्तर पर लोगों को बेटियों की शिक्षा के प्रति भी जागरूक किया जाना चाहिए।
- ❖ जहाँ कहीं पर भी महिलाओं व लड़कियों के साथ आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं तो उन पर तुरंत कार्यवाही करते हुए उनको कठिन से कठिन सजा दी जानी चाहिए।
- ❖ पंचायतों द्वारा महिला मतदाताओं को एकत्रित करके बैठकों का आयोजन कर उन्हें लिंगानुपात की समस्या के बारे में समझाना चाहिए।
- ❖ स्थानीय स्तर पर लिंगानुपात की समस्या से निपटने के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों की सहायता लेनी चाहिए। इसकी सूचना देने वाले का नाम

- गुप्त रखना चाहिए व ईनाम के तौर पर प्रदान की जाने वाली राशि को भी बढ़ाना चाहिए ताकि इस समस्या पर काबू पाया जा सके।
- ❖ सभी ग्रामीणों को सार्वजनिक रूप से बेटे बचाओ, बेटे पढ़ाओ की शपथ दिलानी चाहिए। यह भी देखते रहना चाहिए कि लोग शपथ पालन भी कर रहे हैं अथवा नहीं और जो नहीं कर रहे हैं तो उनको दोबारा से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
 - ❖ पंचायत स्तर पर हर माह जन्म लेने वाले लड़के व लड़कियों की संख्या के साथ गुड्डा-गुड्डी बोर्ड का प्रदर्शन सुनिश्चित करना चाहिए।
 - ❖ सरपंच व पंचायत सदस्य द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से लगे अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों पर नजर रखना व किसी भी मामले का पता चलने पर उसे रोकना व पुलिस और जिला अधिकारी को तुरंत इसकी सूचना देनी चाहिए।
 - ❖ स्थानीय अधिकारियों को जेनिसिलेक्ट किट कैमरा, एमआरआई तथा मोबाईल आकार के अल्ट्रासाउंड सिस्टमों, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों तथा मशीनों व भ्रूण जाँच से सम्बन्धी नये-नये आविष्कारों का पता लगाकर उनके दुरुपयोग पर रोक लगाने के प्रयास किये जाने चाहिए।
 - ❖ लड़कियों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए योग्य व प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षा के अतिरिक्त चुनावी, जनगणना सम्बन्धी कार्यभार नहीं सौंपे जाने चाहिए क्योंकि इन अतिरिक्त कार्यों से शिक्षण कार्य बाधित होता है।
 - ❖ बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता व संवेदना उत्पन्न करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को समाज में अपनी सक्रिय भागीदारी प्रदान करनी चाहिए इसके अतिरिक्त गरीब वर्ग की छात्राओं की फीस, परिधान व अन्य शिक्षण सामग्री की व्यवस्था के लिए ठोस नीति को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। साथ ही दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से घर बैठे बालिकाओं को साक्षर व शिक्षित करने के लिए संचार व प्रौद्योगिकी माध्यमों का व्यापक प्रयोग व विस्तार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
 - ❖ घर से विद्यालय की दूरी भी बालिका शिक्षा के मार्ग में अवरोधक है। इस अवरोध को दूर करने के लिए बालिकाओं के लिए सरकारी व निजी बसों में निशुल्क यात्रा

व्यवस्था के साथ सुरक्षा व्यवस्था भी प्रदान की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि गांवों में घर के समीप ही लड़कियों को शिक्षा प्राप्त हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमारी सोनी, (जनवरी, 2016), 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' बालिकाओं को सशक्त करने की अनूठी पहल, नई दिल्ली, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मासिक अंक 3, पृष्ठ संख्या 26।
2. बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में- एक परिचय, माड्यूल (22 जनवरी 2015), राष्ट्रीय जनसहयोग एवं बाल विकास संस्थान फाउन्टेनहेड सोल्यूशन, नई दिल्ली, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
3. चन्द्र, गिरीश पाण्डे (2015), बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, प्रतियोगिता दर्पण, सामाजिक लेख, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 96।
4. डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.माईजीओवीइन/गुप इनफो/बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ, दिनांक 23 अप्रैल, 2016 समय 10:59 प्रातः।
5. नारणि प्रकाश नारायण, (सितम्बर 2003), 'शिक्षा आपके द्वार', नई दिल्ली: कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मासिक अंक 9, पृष्ठ संख्या 34।
6. लक्ष्मीकांत, एम० (2013), लोक प्रशासन, टाटा मेग्राहिल, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 533।